प्रेस-नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 12.09.2023

80 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 550 ग्राम यूरिया व 450 ग्राम नौसादर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के क्रय-विक्रय एवं निष्कर्षण के अपराधों पर अंकुश लगाये जाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कोतवाली गोरखपुर के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में उ0नि0 शेर बहादुर सिंह मय पुलिस टीम द्वारा 80 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 550 ग्राम यूरिया व 450 ग्राम नौसादर के साथ अभियुक्त तुलसी निषाद पुत्र स्व0 रामप्रसाद निवासी चकरा दोयम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर स्थायी पता बेलवा रायपुर पोखरा टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 345/2023 धारा 272 भा0द0सं0 व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता –

तुलसी निषाद पुत्र स्व0 रामप्रसाद निवासी चकरा दोयम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर स्थायी पता बेलवा रायपुर पोखरा टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0- 345/2023 धारा 272/273 भादसं0 व 60 आबकारी एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-382/2010 धारा 323,504,506 भादसं0 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0स0-118/2014 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0स0- 345/2023 धारा 272/273 भादसं0 व 60 आबकारी एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी –

80 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 550 ग्राम यूरिया व 450 ग्राम नौसादर

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

1- उ0नि0 शेर बहादुर सिंह चौकी टी0प0 नगर थाना राजघाट गोरखपुर
2- का0 शिवभोला थाना राजघाट गोरखपुर
3- का0 दीशू राय थाना राजघाट गोरखपुर